संख्या-562एम/नौ-5-2014-69एम/2014

प्रेषक,

**उमा शंकर सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**अधिशासी अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद,
बॉसी जनपद सिद्वार्थनगर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 28 जनवरी, 2015

**विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-350/न0पा0परि0बॉसी/2014-15 दिनांक 26.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत जनपद सिद्वार्थनगर की नगर पालिका परिषद, बॉसी में सड़कों के निर्माण के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2014- कुल लागत **₹ 295.43 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में सड़कों के निर्माण हेतु कुल **₹ 147.71 लाख (₹ एक करोड़ सैंतालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

**(धनराशि लाख् ₹ में)**

| क्र. सं. | जनपद का नाम | नागर निकाय का नाम | प्रस्तावित कार्य | आगणन में प्रार्थित धनराशि | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | सिद्वार्थनगर | नगर पालिका परिषद, बॉसी | 1. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-11 सुभाष नगर में सन्नर के मकान से नगर पालिका बार्डर तक सड़क/नाली निर्माण | 31.80 | | |
| | | | 2. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-11 सुभाष नगर में नगर पालिका सीमा से 265 मी. प्रथम चैनेज इंटरलाकिंग पटरी कार्य | 30.09 | | |
| | | | 3. वार्ड संख्या-12 निराला नगर में शिवाला से नौगढ़-बॉसी मार्ग तक मिट्टी भराई, सोलिंग, इंटरलाकिंग का कार्य | 34.16 | | |
| | | | 4. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-11 सुभाष नगर में इब्राहीम के मकान से फरहारी बाबा के स्थान पर पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य | 37.50 | | |
| | | | 5. वार्ड संख्या-11 सुभाष नगर में बॉसी अटवा रोड से बसन्तपुर सीमा तक फरहारी बाबा स्थान से बसंतपुर बार्डर तक पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य | 37.94 | | |
| | | | 6. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-21 निषाद नगर में रतनसेन इंटर कालेज रोड से महरवाजोत मोड़ तक सड़क/नाली निर्माण | 39.52 | | |
| | | | 7. वार्ड संख्या-3 पटेल नगर में बॉसी नौगढ़ रोड से बद्री श्रीवास्तव के मकान तक पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य | 27.52 | | |

| क्र. सं. | जनपद का नाम | नागर निकाय का नाम | प्रस्तावित कार्य | आगणन में प्रार्थित धनराशि | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | | | 8. वार्ड संख्या-14 अशोक नगर में ब्लाक से पण्डित शेषदत्त त्रिपाठी की मूर्ति तक पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य | 29.80 | | |
| | | | 9. वार्ड संख्या-3 पटेल नगर में बद्री श्रीवास्तव के मकान तक से ईदगाह तक पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य | 28.08 | | |
| | | | **योग** | **296.41** | **295.43** | **147.71** |

**(रू एक करोड़ सैंतालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र)**

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रस्तुत आगणन में प्रार्थित धनराशि एवं उक्त निकायों को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के अन्तर (कालम 5-6) बढी हुई धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्प्ले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

11. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

12. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( उमा शंकर सिंह )
संयुक्त सचिव।

CC

संख्या-562(1)/नौ-5-2014-69एम/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बस्ती।
3. जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर।
4. कोषाधिकारी, सिद्वार्थनगर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बॉसी-सिद्वार्थनगर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक( अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )
संयुक्त सचिव।

CC

# Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-**2014-2015**

आवंटन दिनांक-**28/01/2015**

प्रेषण संख्या:- 562M

आवंटन आदेश संख्या:- 001-562M-9-5-2014-69M-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 14771000<br>25537500 | 14771000<br>25537500 |
| | योग | वर्तमान<br>प्रगामी | 14771000<br>25537500 | 14771000<br>25537500 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सैंतालीस लाख इकत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पचपन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव